— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा —— प्रार्थीगण
2. श्री शेलेन्द्र कुमार नायक ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 26/5/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है जो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शास्ति होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। यह कि जहां तक प्रा. पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलजीडब्ल्यू—ए के खाता सं. 120/74 के प.नं. 37/281 (6) किला नं. 20/2, 2014, 24, 25/1 की कुल 0.506 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी, खाता सं. 8/5 के प.नं. 37/281 (6) किला नं. 5/3, 5/4, 6, 15, 16, 25/2, प.नं. 38/281 (5) किला नं. 1/1, 1/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18 ता 24, 25/1, 25/3, प.नं. 39/281 (4)

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं 20 ता 22 इस प्रकार कुल 4.744 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड बाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के कोई पुत्र सन्तान नही था मात्र दो पुत्रीयां सन्तान लखविन्द्र कौर वगैरा थी। इसके बाद अप्रार्थी सं.1 ने अपने हकीकी भाई बलकार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह से उसके पुत्र रविन्द सिंह (प्रार्थी) को गोद लिया था व अपनी दूसरी पुत्री को अपने भाई बलकार सिंह को गोद दे दी थी जो गोदनामे दिनांक 12.04. 2012 को उप पंजीयक पीलीबंगा के यहां पंजीयनशुदा है। प्रार्थी गोद दिये जाने के समय से ही अप्रार्थी सं. 1 के साथ बतौर प्राकृतिक पुत्र रह रहा है। चित्रप्रति गोदनामा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 को अपने पिता मेहर सिंह से जरिये डिक्री व विरासतन प्राप्त हुई है जो कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का गोद जाने के बाद से ही बतौर प्राकृतिक पुत्र हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी का अपने प्राकृतिक पिता की कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नही रहा है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में अपने 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है व अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने का हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 जो कि शराबी कवाबी व चालाक तेज तर्रार व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम वर्णित कृषि भूमि में से 0.772 हैक. भूमि पूर्व में किरणपाल कौर व प्रीतपाल कौर को बेचान कर चुका है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी सं. 1 को खोलायत पुत्र है इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.1 मिन प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की कृषि भूमि मारने की गर्ज से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधि कारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलजीडब्ल्यू–ए के खाता सं.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

120/74 के प.नं. 37/281 (6) किला नं. 20/2, 20/4, 24, 25/1 की कुल 0.506 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी, खाता सं. 8/5 के प.नं. 37/281 (6) किला नं. 5/3, 5/4, 6, 15, 16, 25/2, प.नं. 38/281 (5) किला नं. 1/1, 1/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18 ता 24, 25/1, 25/3, प.नं. 39/281 (4) किला नं. 20 ता 22 इस प्रकार कुल 4.744 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट सरिस्ता एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शैलेन्द्र नायक अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 व 2 की ओर निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.1 में वर्णित कथन वाद पत्र प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है, जिसमें प्रार्थी को सफलता का कोई आधार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.2 में वर्णित असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सयुक्त परिवार नही है व न ही परस्पर सहदायिकी व सहंअशदायी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स 3 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा गलत सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने स्वय को मन अप्रार्थी स. 1 का पुत्र दर्शित किया है जिसको मन अप्रार्थी स. 1 द्वारा कभी भी गोद नही लिया गया है। जिसका विवरण आगे के चरणों में अंकित किया जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 4 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मंद स.5 में वर्णितं कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी को अप्रार्थी स.1 द्वारा कभी गोद नही लिया गया। बल्कि अप्रार्थी स.1 की पुत्री गुरप्रितकौर को प्रार्थी के पिता ने गोद लिया था। प्रार्थी ने स्वय को अप्रार्थी स. 1 का दत्तक पुत्र होने का मिथ्या कथन कर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा इस वाद में स्वय कों अप्रार्थी स.1 का दत्तक पुत्र होने का कथन कर उक्त भूमि में विभाजन चाहा । अप्रार्थी स. 1 ने कभी भी प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण नही किया तथा ना हीं दत्तक ग्रहण की कोई रस्म हुई। इसके विपरित अप्रार्थी स.1 की पुत्री गुरप्रीतकौर के जन्म पर प्रार्थी के माता चरणजीतकौर व पिता बलकारसिंह ने उसे दत्तक ग्रहण की इच्छा जाहिर की जिसके चलते अप्रार्थी सं.1 ने अपनी पुत्री गुरप्रीतकौर को प्रार्थी के माता–पिता को ईकवाल गिर गोद में दे दिया। उस समय धार्मिक रिति रिवाज अनुसार गुड आदि बांटकर व गीत गाकर गुरप्रीतकौर को प्रार्थी के माता–पिता के द्वारा सहर्ष गोद में लिया। इस सम्बंध में दिनांक 12.04.2012 को

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी स.1 व मिन अप्रार्थी स.1 की पत्नी परमजीतकौर तथा प्रार्थी के माता पिता ने एक रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाकर उपपंजीयक पीलीबंगा के यहां रजिस्टर्ड करवाया गया। गुरप्रीतकौर जिसे प्रार्थी के माता पिता ने दत्तक ग्रहण किया, वह प्रार्थी के माता–पिता के साथ दत्तक ग्रहण के समय से ही निवास कर रही है। उक्त गोदनामा प्रार्थी के माता–पिता ने श्री अर्जुनसिंह नरूका प्रलेख लेखक से तहरीर करवाया। अप्रार्थी स.1 के द्वारा कभी भी प्रार्थी को गोद में नही लिया गया। प्रश्नगत गोदनामा गुरप्रीतकौर के गोदनामा को निष्पादित करने की आड़ में, उसी दिन प्रार्थी के माता–पिता द्वारा प्रलेख लेखक, गवाहान व उपपंजीयक कार्यालय के स्टाफ मैम्बरसो व उपपंजीयक से साज–बाज कर पंजीकृत करवाया गया है। यह गोदनामा पूर्णतया कपट पर आधारित है। वह अप्रार्थी स.1 का दत्तक पुत्र नही है तथा प्रश्नगत गोदनामा को अवैध व शून्य है। मिन अप्रार्थी स. 1 का आशय ना तो प्रार्थी को दत्तक में ग्रहण करने का था ना ही प्रार्थी के माता–पिता ने प्रार्थी को दत्तक में दिया। अप्रार्थी स.1 को ऐसी कोई आवश्यकता नही थी कि वह कथित किसी धार्मिक संस्कार हेतु प्रार्थी को दत्तक में ग्रहण करे क्योंकि अप्रार्थी स.1 के सन्तान मौजूद थी। प्रार्थी को अप्रार्थी स.1 के द्वारा कभी भी दत्तक ग्रहण नही किया गया। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी स.1 के साथ बतौर पुत्र नही रहा। प्रार्थी हमेशा से ही अपने पिता बलकारसिंह व अपनी माता चरणजीतकौर के साथ रहा है। प्रार्थी के शिक्षा सम्बंधित अभिलेख में भी उनके पिता का नाम इकबालसिंह दर्ज नही है न ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों में भी इकबालसिंह दर्ज है। प्रार्थी का हिन्दू रिति–रिवाज अथवा सिख धर्म के मुताबिक उसके जन्म के चंद दिनों बाद में कभी भी अप्रार्थी स. 1 ने गोद में नही लिया। गोदनामा दिनांक 12.04.2012 में प्रार्थी को अप्रार्थी स. 1 ने धार्मिक रिति–रिवाज के मुताबिक जन्म के चंद दिनो बाद गौद लिये जाने सम्बंधी मिथ्या कथन किये गये है। प्रश्नगत गोदनामा में गोदनामा से सम्बंधित कोई रस्म अदा की जानी, गीत गाये व गुड़ बंटवाने के भी कोई कथन नही किये गये है। गोदनामा दिनांक 12.04.2012 में दिनांक 12.04.2012 के पश्चात् प्रार्थी के अप्रार्थी स. 1 को गोद में दिये जाने व दिनांक 12.04.2012 से प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 का पुत्र कहलवाये जाने सम्बंधी जो कथन किये गये है, उससे भी यह प्रमाणित है कि इस गोदनामा में यह लिखा जाना कि द्वितीय पक्षकारान ने जन्म के चंद दिनों बाद ही रविन्द्रसिंह को गोद ले लिया था, स्वतः ही मिथ्या साबित होता है। गोदनामा दिनांक 12.04.2012 में कही भी इस बात का उल्लेख नही है कि किसी दिनांक को प्रार्थी को गोद लिया गया। जो इसके मिथ्या व कुटरचित होने का अकटप्य प्रमाण है। गोदनामा दिनांक 12.04.2012 एक कुटरचित दस्तावेज है जिसे प्रार्थी व प्रार्थी के माता–पिता जो कि अप्रार्थी स.1 के सगे भाई, भाभी है, ने उनकी पुत्री गुरप्रीतकौर को दत्तक में लेने की लिखित जो दिनांक 12.04.2012 को लिखवाना तय हुआ था, की आड़ में अप्रार्थी स.1 के विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर प्रश्नगत गोदनामा को तैयार करवाया गया है। अप्रार्थी स. 1 अपने भाई, भाभी पर अत्याधिक स्नेह करता था वे उनके प्रस्ताव पर ही अपनी पुत्री गुरप्रीतकौर को दत्तक देने के लिए रजामंद हुए थे। प्रार्थी व प्रार्थी के माता–पिता ने अप्रार्थी स.1 के विश्वास को

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

छिन्न–भिन्न कर दिया एवं अप्रार्थी स.1 के साथ कपट करते हुए अप्रार्थी स. 1 को अभिज्ञान के बिना ही गुरप्रीतकौर के गोदनामा की आड़ में उसी रोज दिनांक 12.04.2012 को एक ही बैठक में गोदनामा को प्रलेख लेखक से साठ–गांठ कर तैयार करवाया। प्रश्नगत गोदनामा के स्टाम्प पेपर भी अप्रार्थी स. 1 द्वारा कभी खरीद ही नही किये गया। प्रश्नगत गोदनामा गवाहान व उपपंजीयक कार्यालय के स्टाफ मैम्बर्स व उपपंजीयक कार्यालय व उपपंजीयक से साज–बाज कर पंजीकृत करवाया गया है। अप्रार्थी स. 1, प्रार्थी व प्रार्थी के माता–पिता पर अत्याधिक विश्वास करता था। उनके कहने पर ही अप्रार्थी स.1 ने अपनी पुत्री को गोद दिया । जिस पर अप्रार्थी स: 1 ने प्रार्थी के माता–पिता पर विश्वास कर उनके असम्यक प्रभाव में आकर उनके कहने पर निर्दिष्ठित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर / अगुठा निशान इस विश्वास से अंकित कर दिये कि उसके भाई, भाभी धोखा नही कर सकते है, परन्तु प्रार्थी के माता–पिता ने अप्रार्थी स. 1 के साथ वैश्वासिक सम्बंधों का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी स.1 को धोखे में रखकर गुरप्रीतकौर के गोदनामा के दस्तावेज को तैयार करवाने का कहकर पृथक से एक प्रश्नगत गोदनामा भी तैयार करवा लिया। जिसके बारे में अप्रार्थी स.1 को न तो बताया गया व न ही स्वीकृति ली गई। दिनांक 12.04.2012 को एक ही बैठक में दोनो दस्तावेज लिखवाए गये। दोनो दस्तावेजो में गवाह भी एक से रखे गये। श्अप्रार्थी स.1 केवल हस्ताक्षर करना ही जानता है, जो किसी भी दस्तावेज की पढ़ नही सकता है। ऐसे किसी भी दस्तावेज को प्रलेख लेखक ने अप्रार्थी स.1 को पढकर नही सुनाया व न ही इनमे दर्ज विषयवस्तु के बारे में उन्हे जानकारी ही दी गई बल्कि यही गया कि गुरप्रीतकौर का गोदनामा की तहरीर की गई है। प्रार्थी के माता–पिता ने चुंकि उसी समय गुरप्रीतकौर का गोदनामा तहरीर व पंजीकृत करवाया था। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के माता–पिता ने प्रश्नगत गोदनामा के निष्पादन व पंजीकृत के समय सक्रिय तौर पर भागीदारी की व अपनी मर्जी से प्रश्नगत गोदनामा में तथ्यों का दर्ज करवाया जिसके लिए अप्रार्थी स.1 को किसी प्रकार की जानकारी नही दी गई। गोदनामा के निष्पादन से सम्बधित सभी परिस्थितियों पूर्णतया संदिग्ध है। जिसे प्रार्थी के माता–पिता ने आज तक सगुप्त रखा है व इसके सम्बंध में कभी भी कोई अप्रार्थी स. 1 के समक्ष नही किया व न ही इसके आधार पर अपने प्रार्थी ने अपने की वल्दीयत बदलवाने के लिए कोई प्रयास किये स्पष्ट है कि प्रार्थी व प्रार्थी के माता–पिता को यह अपराध बोध अवश्य ही रहा है कि उनके द्वारा अपने सगे भाई, भाभी, भतिजा होने की स्थिति में उनके विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी स.1 से कपट पूर्ण आचरण कर ऐसा गोदनामा तैयार करवाया है। अप्रार्थी स.1 को ऐसा गोदनामा को निष्पादित करवाने की कोई स्थिति ही नही थी। गोदनामा की सरंचना दोषपूर्ण है, जिससे कपट किया जाना सहज ही प्रमाणित है। गोदनामा में कोई स्वतंत्र व्यक्ति बतौर गवाह नही रखा जाना व गवाह के तौर पर प्रार्थी व प्रार्थी के माता–पिता के पक्षधर व्यक्ति बसन्तसिंह पुत्र श्री जंगीरसिंह व अवतारसिंह पुत्र श्री जंगीरसिंह जो कि रिश्ते में प्रार्थी के फुफा है, रखा गया जो कि इस गोदनामा की कुटरचना करने में सहायक रहे है। इस गोदनामा में स्वतंत्र गवाहों को न रखने की वजह, इस दस्तावेज का जगजाहिर न होने देना है, इसका

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2. किस्म - अप्रार्थी स.1 को ज्ञान न होने देना रहा है, जाहिर है कि प्रार्थी के माता–पिता, प्रार्थी की बुआ हरबन्शकौर व कलवन्तकौर तथा फुफा बसन्तसिंह व अवतारसिंह ने परस्पर षडयंत्र रचकर, अप्रार्थी स.1 की सम्पति को हड़प करने के एकमात्र उदेश्य से गोदनामा की कुटरचना की गई है, जो कि मूलतः ही अवैद्य व शुन्य है। गोदनामा के समय प्रार्थी की आयु 16 वर्ष रही है, हिन्दू विधि अनुसार दत्तक सन्तान की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। उक्त स्थिति के चलते गोदनामा शुरू से ही अवैद्य व शुन्य है। प्रार्थी का अप्रार्थी स.1 से पुत्रवत कोई प्रेम नही था ना ही प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 के पास रहता था। प्रार्थी अपने वास्तविक माता–पिता के पास रहता था और अब भी अपने वास्तविक माता–पिता के पास रह रहा है। वह कभी भी अप्रार्थी स.1 के पास नही रहा और ना ही उसका अप्रार्थी स.1 से कोई लगाव या प्रेम रहा है। जिसके चलते उक्त गोदनामा अवैद्य व शुन्य है जो अप्रार्थी स.1 के हितो पर निष्प्रभावी है। उक्त गोदनामा के आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार की सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.6 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी अप्रार्थी स.1 का गोद पुत्र नही है व न ही प्रार्थी अप्रार्थी स.1 की कृषि भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी व न ही अच्छी–मन्दी रास्ता, खाला की सुविधा अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.7 में वर्णित कथन असत्य होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी स.1 किसी भी प्रकार का नशा नही करता है। अप्रार्थी स.1 भोला–भाला शुद्ध वैष्णों भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति है इसके विपरित प्रार्थी बहुत ही तेज तरार व्यक्ति है जो फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी स.1 की भूमि को हडपना चाहता है। अप्रार्थी स.1 भूमि का खातेदार काश्तकार है व अपनी भूमि का किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग करने हेतू स्वतंत्र है जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नही है। इस कारण प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी स.1 व 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है जिसे प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में साबित करना है। प्रार्थी ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषिणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के हक हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य सबूतों के लेखबद्ध होने के उपरातं ही होना है। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण एवं यदि उक्त वाद

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस लिए सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे होने पर वाद में प्रार्थी के हक–हिस्सों के तय होने तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटी, स्वीकार योग्य हाने के कारण स्वीकार किया जाता है दिनांक 18.12.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा निस्तारण तक निरन्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 26/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)